# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 184/2013/डिक्री

नारायण पिता नन्दा जाट
निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये सरकार जिलाधीश चित्तौड़गढ़
2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगरार
3. सोहनीबाई पुत्री नन्दा जाट
4. रतुबाई पुत्री नन्दा जाट
   दोनो निवासी साडास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 30/08/2013 प्रकरण संख्या 69/2010

उपस्थित – 1. श्री अशोक कुमार राजौरा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ललित कुमार शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–3–4
3. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक –1,2

निर्णय दिनांक – 14.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4 व उनकी माता फेफी बाई ने वाद प्रस्तुत किया। जिस अनुसार वाद पैरा 1 मे अंकित ग्राम साडास तहसील गंगरार विवादित आराजी खाता संख्या 49 संवत् 2029 से 32 के जरिये गोकल पिता भज्जा जाट निवासी साडास के खाते कब्जे पर पुराने आ.न. 277 मी. रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 278 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 295/1 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा, 286 रकबा 6 बीधा 19 बिस्वा, 284 रकबा 7 बिस्वा 279 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 366 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 317 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 318 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जो उक्त खाता अनुसार बरहाल खाता संख्या 46 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा यानि 6.7085 है0 दर्ज रिकार्ड था। किन्तु उक्त मूल खातेदार गोकल की मृत्ये के बाद नवीन सेटलमेन्ट मे बाला गोकल के वारिस

गुलाबी बेवा गोकल जाट नन्दा मुत्तबन्ना गोकल जाट के खाते पर नवीन आराजी नम्बर 415 रकबा 0.51 है, 416 रकबा 1.23 है0 417 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 418 रकबा 0.15 है0 आराजी नम्बर 419 रकबा 0.04 है0 436 रकबा 0.42 है0 439 रकबा 0.05 489 रकबा 0.31 है0, 490 रकबा 0.58 है0 373/2138 रकबा 0.24 है0 416/2152 रकबा 1.26 है0 कुल रकबा 5.36 है0 ही दर्ज किया है। इस प्रकार गुलाबी नन्दा के खाते पर 1.34 है0 रकबा कम दर्ज कर दिया गया। तथा पुराने खाता संख्या 46 संवत् 2029 से 32 के जरिये आराजी नम्बर 320 रकबा 8 बिस्वा आराजी चाह नम्बर 323/2 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा कुल 12 बीघा 12 बिस्वा का आधा हिस्सा की आरराजी 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि खाता संख्या 49 संवत् 2029 से 32 मे गोकल के खाते पर दर्ज की गई थी। उसका कोई नया नम्बर भी दर्ज नही किया फिर भी बिना किसी डिक्री वैध दस्तावेज के अभाव मे एवं नियमो के खिलाफ अपीलान्ट के खाते पर उक्त कमी रकबा दर्ज कर दिया। जबकि उक्त मूल पुरूष नन्दा गुलाबी की मृत्यु हो गयी। जिसके वारिसान वादीगण होने से वाद पत्र प्रस्तुत करने से लगायत आज तक कब्जे मे होने से खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायलय ने बिना किसी आधार के वादीगण का वाद खारीज मे वैधानिक भूल की है।

2. मौखिक साक्ष्य मे वादी नारायण पीडब्ल्यु – 1 के बयान कराये तथा ताईद मे पीडब्ल्यु 2 शंकरलाल के बयान कराये। विवादित आराजी वादी के खातेदारी की होना व खाते से रकबा कम होना तथा कब्जा वादीगण का होना साबित कराया। अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब दावा रेस्पोडेन्ट ने पेश किया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनो के आधार परकोई तनकियात कायम नही किये तथा बिना तनकी बनाये निर्णय पारित करने मे वैधानिक भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री दिनांक 30/08/2013 को खारीज फरमाया जावे तथा वाद अनुतोष अनुसार अपीलान्ट का दावा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे तथा अन्य उचित दाद दिलाई जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 06/05/2006 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पृष्ठ संख्या 124 पर उपलब्ध है। खसरा नम्बर 2133/2311 तथा खसरा नम्बर 2133/2310 गोचर के रूप मे दर्ज है जिसका पुराना नम्बर 416/2133 है। एग्जीबिट संख्या 17 जो कि मिलान खसरा है मे पुराना खाता

संख्या 416/2133 रकबा 7.43 है0 खातेदारी दर्ज थी जिसमे से 1.85 है0 भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अंतिम दुसरा पैरा मे यह उल्लेखित है कि रिकार्ड का अवलोकन किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। इसी प्रकार एग्जीबिट संख्या 23 पृष्ठ 78 मे पुराना खाता संख्या 46 संयुक्त रूप से दर्ज है, इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यो को ध्यान मे रखे बिना निर्णय पारित किया गया है जो खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेन्ट से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 69/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 30/03/2013 अपास्त किया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उपलब्ध समस्त रिकार्ड के आधार पर निर्णय पुनः पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़